762
13/9/21.

आय–व्ययक महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक एफ 3 (2) ( )बजट/सान्याअवि/2021–22/ 6587 जयपुर,दिनांक 13.09.2021

बजट परिपत्र

Programmer (D) 13/9/21

विषयः– आगामी वर्ष 2022–23 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए संशोधित बजट अनुमानों के प्रस्ताव बाबत्।

संदर्भः– वित्त विभाग(आय व्ययक अनुभाग) के परिपत्र प.4(48) वित्त–1(1)आ.व्यय/2021 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए क्रमशः आय व्ययक अनुमान (B.E.) एवं संशोधित अनुमान (R.E.) वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने हैं।

आय व्ययक अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त संदर्भित परिपत्र में वर्णित हैं जिनका सावधानी पूर्वक पठन आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जावे एवं तद्नुसार आय–व्ययक अनुमान तैयार किये जावे तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बंधी और अन्य परिपत्रों की पालना भी सुनिश्चित करावे।

1. प्रपत्र 1 से 14 की पूर्ति कर तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाकर निर्धारित तिथि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के लेखाकर्मी/विज्ञ कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जावेंगे। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के बजट प्रस्ताव सम्बंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की पूर्णतया जांच कर अपने कार्यालय के प्रस्तावों के साथ अधीनस्थ कार्यालयों के प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। स्वीकृत/रिक्त पदों,

पहले ही भिजवा देवे ताकि बी.एफ.सी. से पूर्व प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाए जा सके।

9. प्रपत्र संख्या 1 से 14 वित्त विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।

10. निर्धारित अवधि में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने पर प्रस्ताव बी0एफ0सी0 में सम्मिलित नहीं होने अथवा कम राशि प्राप्त होने के लिये सम्बंधित कार्मिक / कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ 3 (2) ( )बजट / सान्याअवि / 2021–22 / 6583-96 — जयपुर,दिनांकः 18.09.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत / रिक्त / कार्यरत / अनुबंध पर भरे हुए पदों एवं अन्य संबंधित प्रपत्रों यथा वाहन, टेलीफोन इत्यादि के प्रमाणन हेतु संबंधित कार्मिको को निर्देशित करे तथा मुख्यालय की आई.डी. 4719 से सम्बंधित बजट प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों सहित उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
3. अति0 निदेशक (छात्रावास) को प्रेषित कर लेख है कि लेखाशीर्ष 2059 के बजट प्रस्ताव निदेशक महोदय से अनुमोदित कराकर दिनांक 25.09.2021 तक उपलब्ध करावे ताकि बी.एफ.सी में सम्मिलित किया जा सके।
4. अतिरिक्त निदेशक, योजना।
5. उपनिदेशक--(आयोजना) मुख्यावास को स्कीमस् बी.एफ.सी. के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाई हेतु।
6. योजना प्रभारी---आई.टी.-----------को वित्त विभाग(आय–व्ययक अनुभाग) के सन्दर्भित बजट परिपत्र दिनांक 06.09.2021 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु ।
7. समस्त उप निदेशक / सहा0 निदेशक / जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / नारी निकेतन / वृद्धाश्रम / आवासीय विद्यालय।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्।
9. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

बजट प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

संशोधित अनुमान वर्ष 2021–22 एवं बजट अनुमान 2022–23

क.स.	कार्यालय का नाम	बजट प्रस्तुत करने की दिनांक
1	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि दौसा, टोंक, झुंझुनू	17.09.2021
2	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि सीकर, चुरू, अति0 निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन) मुख्यावास	20.09.2021
3	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ ,बीकानेर	21.09.2021
4	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,जोधपुर जैसलमेर, बाडमेर	22.09.2021
5	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जालौर, सिरोही,पाली	23.09.2021
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि प्रतापगढ,चितौडगढ, उदयपुर	24.09.2021
7	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि डूंगरपुर, बांसवाडा,भीलवाडा	27.09.2021
8	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि सवाईमाधोपुर,करौली, अजमेर	28.09.2021
9	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि कोटा,बारां,झालावाड	29.09.2021
10	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि राजसमंद,भरतपुर,धौलपुर	30.09.2021
11	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण,अलवर,नागौर	01.10.2021

(सुरेश कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

संविदा पर कार्यरत कार्मिकों सम्बंधित प्रपत्र भी ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। **(कार्यक्रम की प्रति संलग्न)**

2. other than schemes की B.F.C. हेतु निम्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने है:–

अ. 2225–01–001–01–01, राज्य निधि, निदेशालय स्तरीय संस्थापन

ब. 2225–01–196–06–00, राज्य निधि, जिला स्तरीय संस्थापन

स. 2235–02–197–01–01, राज्य निधि, ब्लॉक स्तरीय संस्थापन

द. 2059–80–053–22–00, राज्य निधि, लोक निर्माण कार्य

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखाशीर्ष schemes की B.F.C. में सम्मिलित किये जायेंगे।

3. प्रस्तावों (BE व RE) के साथ Object Head wise तथ्यात्मक बजट नोट आवश्यक रूप से तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि प्रस्तावों का औचित्य स्पष्ट किया जा सके।
4. प्रायः देखा गया है कि संवेतन मद के प्रस्ताव सही नहीं होते हैं। अतः संवेतन मद में गत वित्तीय वर्ष के कुल वास्तविक व्यय के साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष के चार माहो के कुल वास्तविक व्यय की स्थिति को भी ध्यान में रखा जावे।
5. संवेतन मद का विस्तृत विवरण यथा मूल वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया + शहरी भत्ता + विशेष वेतन + अन्य भत्ते + बोनस सहित पूर्ण विवरण की तालिका तैयार की जावे तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के RE एवं आगामी वर्ष 2022–23 के BE के आंकडों से इसका मिलान आवश्यक रूप से कर लेवें।
6. बकाया के दावो की पृथक् से सूची संलग्न करावें तथा उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के बिदु सं0 08 की पालना सुनिश्चित की जावे।
7. स्वीकृत पदों/रिक्त पदों की, 1 जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों एवं विभाग में उपलब्ध वाहन, टेलीफोन, कम्प्यूटर आदि से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में भरकर ऑनलाईन की जाकर इसका सत्यापन/मिलान मुख्यालय की संस्थापन शाखा से करवाकर प्रमाणन उपरांत ही प्रस्तुत करें।

8. अनावर्तक सामान (स्थायी प्रकृति का सामान) के प्रस्ताव नवीन आइटम्स के अन्तर्गत पूर्व में उपलब्ध सामान की स्थिति के साथ नवीन क्रय किए जाने वाले सामान का नाम, मात्रा, दर, कुल अनुमानित लागत एवं औचित्य सहित प्रस्ताव